प्रेस नोट सराहनीय कार्य
दिनांक 21.01.2025

थाना को0 नगर व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा वाहनों के फर्जी रजिस्ट्रेशन/फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 06 अदद कूटरचित रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, 37 अदद विभिन्न प्रकार की नकली मोहरें, 170 अदद वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनानें हेतु ब्लैंक/खाली पेपर व 03 अदद विभिन्न कम्पनियों के मोबाइल फोन बरामद—

गोण्डा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना को0 नगर क्षेत्र के दो अलग—अलग स्थानों पर दबिश देकर वाहनों के फर्जी रजिस्ट्रेशन बनाने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 06 अदद गाड़ियों के कूटरचित रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, 37 अदद विभिन्न प्रकार की नकली मोहरें, 170 अदद वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनानें हेतु ब्लैंक/खाली पेपर व 03 अदद विभिन्न कम्पनियों के मोबाइल फोन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—
आज दिनांक 21.01.2025 को थाना को0 नगर व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा आर0टी0ओ0 ऑफिस के पास स्थित आनलाइन/फोटो कापी/लोकवाणी के दुकानदार आशुतोष उर्फ गायत्री तिवारी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 04 अदद फर्जी वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, 01 अदद नकली मोहर व 124 अदद वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनाने वाले ब्लैंक/खाली पेपर व 01 अदद एण्ड्रायड व 01 अदद कीपैड मोबाइल फोन बरामद किया गया तथा पुलिस लाइन मोड़ स्थित फोटो कापी की दुकान में दबिश देकर अभियुक्त मसीउल्लाह उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 अदद वाहनों के फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, 36 अदद नकली मोहरें व 36 अदद वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनाने वाले ब्लैंक/खाली पेपर व 01 अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर में गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण—
अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो द्वारा आरटीओ कार्यालय में सांठ—गांठ कर वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का सरकारी कागज प्राप्त किया जाता था तथा अनुचित लाभ कमाने हेतु नकली रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनाकर ग्राहको को दिया जाता था। इन अभियुक्तों द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाने हेतु विभिन्न कार्यालयों की नकली मोहरें बनवायी गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—
01. आशुतोष तिवारी उर्फ गायत्री पुत्री प्रदीप कुमार तिवारी नि0 गायत्रीपुरम नैय्यर कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मसीउल्लाह उर्फ गुड्डू पुत्र समीउल्ला नि0 निकट रेलवे स्टेशन कचेहरी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–38/2025, धारा 318(4),319(2),336,338,340(2),61(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01.उ0नि0 केदार राम।
02. उ0नि0 शादाब आलम एस0ओ0जी0/साइबर टीम।
03. प्रशि0 उ0नि0 अविनाश सिंह।
04. प्रशि0 म0उ0नि0 पूजा वर्मा।
05. हेड का0 शैलेन्द्र यादव।
06. हेड का0 पंकज सिंह।
07. हेड का0 सतवंत सिंह।
08. का0 अमित यादव।
09. का0 अमित तोमर।
10. म0का0 सीमा वर्मा।

मीडिया सेल, गोण्डा।